

# झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में

सीएमपी संख्या 418/2019

-----

हरिदेव सिंह और अन्य.

..... याचिकाकर्ता

बनाम

मसो. अंबिका एवं अन्य

-

.....उत्तरदातागण

-----

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

-----

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री अनिल कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

राज्य के लिए:

-----

02/25.07.2019 याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि सभी त्रुटियों को दूर कर दिया गया है।

यह आवेदन याचिकाकर्ताओं द्वारा रिट याचिका संख्या 2992/2015 की पुनः स्थापना के लिए दिया गया है, जिसे गैर-अभियोजन के कारण दिनांक 7.5.2019 को खारिज कर दिया गया था।

इस आवेदन में बताए गए कारणों से संतुष्ट होने के बाद, इसकी अनुमति दी जाती है और रिट याचिका संख्या 2992/2015 को इसकी मूल फाइल में पुनः स्थापित किया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)

राकेश/-